O. P. CHAINS LIMITED

Regd Off: 8/16 A, Seth Gali, Agra-282003 Uttar Pradesh
(CIN: L27205UP2001PLC026372)
E Mail: opchainscompany@gmail.com
Web: www.opchainsltd.com
Ph: 0562-4045117, Fax: 4044990

To, **Date: 25.08.2026**
Corporate Compliance Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

BSE Scrip Code: 539116

SUB- Submission of Newspaper Publication for 25th Annual General Meeting pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Respected Sir,

Please find attached herewith Newspaper Publication of Notice of 25th Annual General Meeting of the Company as per regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for your information and records.

And following is the link of Notice of 25th Annual General Meeting uploaded on website
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.opchainsltd.com/file2026/Notice%20of%20upcoming%2025TH%20Annual%20General%20Meeting.pdf

The details as required under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Securities and Exchange Board of India circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2023/123 dated 13th day of July, 2023, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/015 dated 11 November,2025 and SEBI Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/1/3762/2026 dated January 30, 2026 are enclosed as **Annexure-A**.

You are requested to take on the record and do the needful.
Thanking You
Yours Faithfully
For O. P. Chains Limited **Place: Agra**

AMIT KAUR LAMBA
Digitally signed by AMIT KAUR LAMBA
Date: 2026.08.25 15:48:18 +05'30'

Amit Kaur Lamba
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Membership No. 74425

O. P. CHAINS LIMITED

Regd Off: 8/16 A, Seth Gali, Agra-282003 Uttar Pradesh
(CIN: L27205UP2001PLC026372)
E Mail: opchainscompany@gmail.com
Web: www.opchainsltd.com
Ph: 0562-4045117, Fax: 4044990

Annexure-A

Advertisement of notice of 25th Annual General Meeting of the Company

Sr. No	Details of event(s) that need to be provided	Information of such event(s)
1.	Date of notice/call letters/resolutions etc.	24th day of August, 2026
2.	Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be passed, manner of approval proposed etc.	Notice of 25th Annual General Meeting is available on the website of the company and the web link is chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.opchainsltd.com/file2026/Notice%20of%20upcoming%2025TH%20Annual%20General%20Meeting.pdf

For O. P. Chains Limited

AMIT KAUR LAMBA
Digitally signed by AMIT KAUR LAMBA
Date: 2026.08.25 15:48:37 +05'30'

Amit Kaur Lamba
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Membership No. 74425

Date: 25th August, 2026
Place: Agra

हिंदुस्तान एडहेसिव्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L74899DL1988PLC031191
पंजीकृत कार्यालय : बी–2/8, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
टेलीफोनः 011–41650348, फैक्सः 011–26191358
ईमेलः accounts@hindustanadhesives.com, वेबसाइटः www.bagla-group.com

सूचना

हिंदुस्तान एडहेसिव्स लिमिटेड के भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष खिड़की

सेबी के सर्कुलर नं. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के सभी शेयरहोल्डर्स को यह बताया जाता है कि भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से जमा करने के लिए, जो 1 अप्रैल, 2019 की अंतिम तिथि से पहले जमा किए गए थे, और डॉक्यूमेंट्स/प्रोसेस में कमी या किसी और वजह से निरस्त/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया , को 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक, एक वर्ष के लिए एक विशेष खिड़की खुली है। जो निवेशक 06 जनवरी, 2026 (ट्रांसफर डीड्स को दोबारा जमा करने की अंतिम तिथि) की पिछली अंतिम तिथि को चूक गए हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, एनएच–2 सी–1 ब्लॉक एलएससी,सावित्री मार्केट के पास,जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, फोन 022–4918 6000 / 4918 6175, ईमेल: Delhi@in.mpms.mufg.com को जरूरी दस्तावेजों को देकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
हिंदुस्तान एडहेसिव्स लिमिटेड
हस्ता./–
मधुसूदन बागला
(प्रबंध निदेशक)
दिनांक : 24 अगस्त, 2026
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन –01425646

बीटेल टेलीटेक लिमिटेड

सीआईएनः U32204HR1999PLC042204
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, प्लॉट नं. 16, उद्योग विहार, फेज – IV, गुड़गाँव 122015, हरियाणा, भारत
टेली. : +91–124–4823500, फैक्स : +91–124–4146130,
वेबसाइट : www.beetel.in, ई–मेल : legal.secretarial@beetel.in

बीटेल टेलीटेक लिमिटेड की 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. बीटेल टेलीटेक लिमिटेड ('कंपनी') की 27वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 15 सितंबर, 2026 को अपराह्न 03:30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') द्वारा, कंपनी की 27वीं एजीएम की सूचना ('सूचना') में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात प्रथम तल, प्लॉट नंबर 16, उद्योग विहार, फेज IV, गुड़गांव – 122015 माना जाएगा। कंपनी ने अपने सदस्यों को एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा (जिसे सामूहिक रूप से 'ई–वोटिंग' कहा जाता है) के साथ–साथ वीसी सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को नियुक्त किया है।
2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी लागू दिशानिर्देश/परिपत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सूचना और वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई है, जिनके ईमेल पते 21 अगस्त, 2026 तक कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी'ज) के पास पंजीकृत हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का काम सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को पूरा हो गया है। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.beetel.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार कंपनी सदस्यों को सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से ही किए जाएंगे।
4. रिमोट ई–वोटिंग अवधि शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और सोमवार, 14 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल सोमवार, 14 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो सदस्य बाद में इसे संशोधित नहीं कर सकता है। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारण के प्रयोजन हेतु कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 8 सितंबर, 2026 ('कट–ऑफ तिथि') होगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। केवल वह सदस्य वोट डालने हेतु ग्राह्य होगा, जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक है।
6. कोई व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कट–ऑफ तिथि तक इक्विटी शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो ऐसा सदस्य वोट डालने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. वे सदस्य जो वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है तथा उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
8. रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग से संबंधित विस्तृत अनुदेश एजीएम सूचना का हिस्सा बनने वाले नोटस में दिए गए हैं।
9. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, आवश्यक फॉर्म आईएसआर–1 और सहायक दस्तावेजों को आरटीए admin@mcsregistrars.com और/या कंपनी legal.secretarial@beetel.in के पास जमा करके अपने ईमेल पते सहित अपनी संपर्क जानकारी अपडेट या रजिस्टर कर सकते हैं।
10. अभौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतित करें।
11. वीसी या रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के बारे में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, सदस्य कंपनी को legal.secretarial@beetel.in पर लिख सकते हैं। सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका भी देख सकते हैं या 022 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की उप उपाध्यक्ष, सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

बीटेल टेलीटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
तिथि : 25 अगस्त, 2026 — संजीव छाबड़ा
स्थान : गुरुग्राम — प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ओ. पी. चेन्स लिमिटेड

CIN: L27205UP2001PLC026372
पता: 8/16 ए, सेठ गली, आगरा, उत्तर प्रदेश–282003
ईमेल आईडी: opchainscompany@gmail.com वेबसाइट: www.opchainsltd.com
फोन नंबर: 0562–4045117

सार्वजनिक सूचना–

25वीं वार्षिक आम बैठक और किताब बंद करने और मतदान प्रक्रिया की जानकारी

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 21 सितम्बर, 2026 को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी 8/16 ए, सेठ गली, आगरा, उत्तर प्रदेश–282003 पर एजीएम में मतदान के माध्यम से और दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से व्यापार का निष्पादन करने के लिए, जैसा कि सूचना तारीख 24 अगस्त, 2026 की 25वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित किया गया है, और वित्त वर्ष 2025–2026 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। उक्त नोटिस वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ और उसके अन्य सभी अनुलग्नकों के साथ उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है और अन्य सदस्यों को पोस्ट के माध्यम से भेजी गई है।

इसके अतिरिक्त ये सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.opchainsltd.com और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और आरटीए की वेबसाइट www.bigshareonline.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि ''कट ऑफ'' तिथि यानी सोमवार, 14 सितम्बर, 2026 को शेयर रखने वाले सदस्य 25वीं एजीएम से पहले और 25वीं एजीएम में प्रस्तावित सभी व्यवसायों पर रिमोट ई–वोटिंग द्वारा और मतपत्र/पोलिंग फॉर्म द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि कंपनी की 25वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट है। इ. रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत निर्देश 25वीं एजीएम नोटिस में उल्लिखित हैं।

C) रिमोट ई–वोटिंग 18 सितम्बर 2026 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी।

D) रिमोट ई–वोटिंग 20 सितम्बर 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

E) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25वीं एजीएम में शारीरिक रूप से उपस्थित सदस्य बैलेट फॉर्म के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

G) जिन सदस्यों ने एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर हासिल कर लिए हैं, वे 25वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग ले सकते हैं और 25वीं एजीएम में बैलट फॉर्म के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

H) जिन सदस्यों ने 25वीं एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी 25वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे सदस्य दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

I) एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य चार्मी बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या S6-2, 6वीं मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई – 400093 से संपर्क कर सकते हैं या charmi@bigshareonline.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 022 – 62638200, 7045454393 पर कॉल कर सकते हैं।

J) कोई भी सदस्य जो कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, इस नोटिस को केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिए ले।

K) उन शेयरधारकों के लिए जिनका ईमेल/मोबाइल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है। कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के साथ।

L) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से 25वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए रिमोट ई–वोटिंग और अन्य निर्देशों के संबंध में नोट्स को ध्यान से पढ़ें।

सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक को बंद करना: – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 15 सितम्बर, 2026 से सोमवार, 21 सितम्बर, 2026 तक 25वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए, सोमवार 21 सितम्बर, 2026 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
ओ. पी. चेन्स लिमिटेड के लिए
Sd/-
सतीश कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक
दिनांक: 24.08.2026
स्थान: आगरा
(DIN: 00095295)

फॉर्म जी

सनस्टार रियल्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड – रियल इस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र में कार्यरत, इन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

पंजीकृत कार्यालय का पता : कार्यालय नं. ४२२, लेव्हल ४, डायनेस्टी ए विंग, अंधेरी – कुर्ला मार्ग, मुंबई शहर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत – ४०० ०५९.

(इनसाल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कारपोरेट व्यक्ति के लिए इनसाल्वेन्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस) रेग्युलेशन, २०१६ के रेग्युलेशन ३६ ए के तहत उप–रेग्युलेशन (१) के तहत

अ. सं.	संबंधित विवरण	
१.	पैन एवं सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ कारपोरेट देनदार का नाम	सनस्टार रियल्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड पैन : AAMCS4495C सीआईएन नं. : L70102MH2008PLC184142
२.	पंजीकृत कार्यालय का पता	कार्यालय नं. ४२२, लेव्हल ४, डायनेस्टी ए विंग, अंधेरी – कुर्ला मार्ग, मुंबई शहर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत – ४०० ०५९.
३.	वेबसाइट का यूआरएल	https://srdl-cirp.com
४.	महत्वपूर्ण स्थायी संपत्ति सही जगह का विवरण	कारपोरेट देनदार की कोई भी स्थायी संपत्ति नहीं है.
५.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं की स्थापित क्षमता	लागू नहीं. कारपोरेट देनदार का कोई भी विनिर्माण कामकाज नहीं है.
६.	गत वित्तीय वर्षाीतील मुख्य उत्पादों/सेवांचे परिमाण व मूल्य	वित्तीय वर्ष २०२३–२४, वित्तीय वर्ष २०२४–२५ एवं वित्तीय वर्ष २०२५–२६ में परिचालन से महसूल शून्य था. संबंधित वर्षों के लिए अन्य उत्पन्न प्राप्तियां रु. ५.०६७५ करोड़, रु. २३.५५ लाख एवं ४.५५ लाख था.
७.	कर्मचारी/मजदूरों की संख्या	सीआईआरपी प्रारंभ तिथि के अनुसार कारपोरेट देनदार के साथ कोई भी कर्मचारी या मजदूर नहीं है और विद्यमान रूप में कोई भी कामकाज नहीं है.
८.	यूआरएल पर उपलब्ध दो वर्ष के अंतिम उपलब्ध वित्तीय अहवाल (शेड्यूल के साथ) के साथ आगे अन्य विवरण	cirpofsunstar@gmail.com या https://srdl-cirp.com तहत लिखकर यह विवरण प्राप्त किया जा सकता है.
९.	कोड के खंड २५ (२) (एच) के तहत रिझोल्यूशन आवेदकों के लिए पात्रता	cirpofsunstar@gmail.com या https://srdl-cirp.com तहत लिखकर यह विवरण प्राप्त किया जा सकता है.
१०.	रुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	०९.०९.२०२६
११.	संभावित रिझोल्यूशन आवेदकों की अस्थायी सूची जारी करने की तिथि	१९.०९.२०२६
१२.	अस्थायी सूची हेतु आपत्ति पेश करने की अंतिम तिथि	२४.०९.२०२६
१३.	प्रस्तावित रिझोल्यूशन आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	०४.१०.२०२६
१४.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों के लिए सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन ज्ञापन और समाधान मसौदा अनुरोध जारी करने की तिथि	०९.१०.२०२६
१५.	रिझोल्यूशन प्लान पेश करने की अंतिम तिथि	०८.११.२०२६
१६.	रुचि की अभिव्यक्ति पेश करने का प्रोसेस ई-मेल आयडी	cirpofsunstar@gmail.com
१७.	एक्सप्रेशन के तौर पर कारपोरेट देनदार का प्रकाशित किए गए	कारपोरेट देनदार एसएसपी नहीं है.

श्री. विनोद कुमार चौरसिया
सनस्टार रियल्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत) के रिझोल्यूशन अधिकारी
पंजीकरण नं. : IBBI/IPA - 001/IP-P00100/2017-18/10200
आवश्यकीआय के साथ मांडलेकृत पता
तिथि : २५.०८.२०२६ — ए – ७०६, सेक्टर – २, रोहिणी, नई दिल्ली – ११००८५.
ठिकाण : दिल्ली — ई-मेल : cirpofsunstar@gmail.com

पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ई–7, मेन फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली–110016
सीआईएन: L65910DL1988PLC033799
वेबसाइट: www.purshottaminvestofin.in, ईमेल: purshottaminvestofin@gmail.com, फोन नं.: 011–46067802

सार्वजनिक सूचना – 37वीं वार्षिक आम बैठक

आपको सूचित किया जाता है कि, पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड ("कंपनी") की 37वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को अपराह्न 04:30 बजे भारतीय मानक समय पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025, तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा पूर्व में जारी अन्य संबंधित परिपत्रों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के साथ पठित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का लेन-देन किया जा सके।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्रों के अनुसरण में तथा सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियम 36(1)(b) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का कुछ भाग संक्षेप कर भेजा जाएगा/पत्र भेजा जाएगा (वेबलिंक (सटीक पथ सहित) सहित एक पत्र उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा, जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। सभी वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए की जाएगी। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पूर्व की प्रथा के समान ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रही है। सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया भी एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी।

37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना की ई-प्रति, साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, नियत समय में कंपनी की वेबसाइट www.purshottaminvestofin.in पर उपलब्ध होंगी और साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगी। कंपनी उन सदस्यों को एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजेगी जो अपने फोलियो नं./डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए pil.cs0187@gmail.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 37वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे। तदनुसार, कृपया ध्यान दें कि कंपनी की एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भाग लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

यदि ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे उल्लिखित निर्देशों के अनुसार पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन करें।

भौतिक होल्डिंग	कंपनी के आरटीए अर्थात एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ –II, नई दिल्ली 110 020 पर अनुरोध भेजें और आवश्यक दस्तावेज़ एवं अनुरोध प्रपत्र जमा करें। आप अपेक्षित दस्तावेज़ एवं अनुरोध आरटीए अर्थात् एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर भी भेज सकते हैं, जिसकी प्रतिलिपि कंपनी को pil.cs0187@gmail.com पर अंकित की जाए।
डिमैट होल्डिंग	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट/पंजीकृत करें ताकि लाभांश भुगतान के लिए कंपनी डीपी के साथ रिकॉर्ड अपडेट हो।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभ के लिए जारी की जा रही है।

कृते पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
दिनांक: 24.08.2026 — अंकित गुप्ता
स्थान: दिल्ली — कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD.

पंजीकृत कार्यालय: 18/14,डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005, भारत
ईमेल: moongipac@gmail.com | वेबसाइट: www.mongipa.com
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L65993DL1987PLC028669

मूंगीपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की 39वीं सालाना आम बैठक ("एजीएम") के संबंध में सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मूंगीपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड "कंपनी") के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, सितंबर 24, 2026 को 01:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार, MCA Circular No- 09/2024 दिनांक सितंबर 19, 2024 और सेबी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 दिनांक अक्टूबर 3, 2024 के साथ पठित, 39वीं एजीएम बुलाने वाली सूचना में निर्धारित व्यवसायों को संपन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम की सूचना, नियत समय में केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं, जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे कंपनी से सदस्यता, सूचनाएं, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। सदस्यों से अपना ई-मेल आईडी और KYC विवरण पंजीकृत करने की अपील।

यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं	ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास admin@skylinerta.com पर कंपनी आरटीए को या moongipac@gmail.com पर कंपनी को अनुरोध भेजकर अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं। कृपया अनुरोध भेजने से पहले आरटीए के साथ KYC अद्यतन के लिए फॉर्म आईएसआर –1 संलग्न करना न भूलें।
यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं	ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं।

वे भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने अभी तक फॉर्मआईएसआर–1, आईएसआर–2, एसएच–13/एसएच–14 जमा नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि वे इन्हें यथाशीघ्र आरटीए/कंपनियों के पास जमा करें। वे शेयरधारक जो शेयरों को डीमैटेरियलाइज्ड रूप में रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त
केवाईसी विवरण और नामांकन उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपडेट किए गए हैं।

डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सभी अन्य सदस्य भी अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए उपर्युक्त ईमेल आईडी पर ईमेल भेज सकते हैं, जिसका शीर्षक 'उद्देश्य 39वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना' हो।

कंपनी अपने सदस्यों को सूचना में निर्धारित और एजीएम में लेन–देन किए जाने वाले प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और एजीएम में ई–वोटिंग प्रदान कर रही है। इसके लिए कंपनी ने वोटिंग सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया जा रहा है।

सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में ई–वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। यदि आपको एजीएम में भाग लेने और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप evoting@nsdl.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नं.: 1800 1020 990 और 1800 2244 30 पर कॉल कर सकते हैं। 39वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.mongipa.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

मूंगीपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के लिए
निदेशक मंडल की ओर से
हस्ताक्षरित/–
दिनांक: 24 अगस्त, 2026 — सोनिया
स्थान: नई दिल्ली — कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

CIN: L32104DL1979PLC009590
पंजीकृत कार्यालयः डी–1081 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110025
फोनः 120 2551556/7 फैक्सः 120 2524337
ईमेलः cs@pel-india.in, वेबसाइटः www.pel-india.in

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटेरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 28 फरवरी, 2026, 29 अप्रैल, 2026, और 27 जून, 2026 को प्रकाशित हमारे पूर्व समाचारपत्र विज्ञापन के क्रम में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') ने अपने परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD- POD/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 ('सेबी सर्कुलर') के माध्यम से, 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली है, ताकि 1 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे/बेचे गए भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटेरियलाइजेशन अनुरोधों को सुगम बनाया जा सके, जिसमें वे हस्तांतरण अनुरोध भी शामिल हैं जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी या अन्यथा के कारण अस्वीकार/वापस/अनुपालित नहीं किया गया था।

इस अवधि के दौरान, इस प्रकार हस्तांतरित प्रतिभूतियों को अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में अंत. रिती के खाते में जमा किया जाएगा और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन में रखा जाएगा। ऐसे शेयरों को उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान हस्तांतरित/लियन–मार्क/गिरवी नहीं रखा जाएगा।

पात्र निवेशक जो इस विशेष विंडो सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सेबी परिपत्र के अनुसार आवश्यक दस्तावेज, सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण करके, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स ('आरटीए') अर्थात मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को डी–153/ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली 110020 पर या उससे पहले 4 फरवरी, 2027 तक जमा करें।

अधिक विवरण के लिए, निवेशक कंपनी से cs@pel-india.in या हमारे आरटीए से ई–मेलः admin@skylinerta.com, टेलः +91–11–26812682ः वेबसाईटः www.skylinerta.com पर संपर्क कर सकते हैं

केवाईसी अपडेट करें और भौतिक शेयरों को डीमैट मोड में परिवर्तित करें

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों का डीमैटरीकरण करें/कंपनी के आरटीए के साथ अपना केवाईसी पूरा करें।

प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षरित/–
पुनीत ए. बजाज
स्थानः नई दिल्ली — कंपनी सचिव
दिनांकः 24 अगस्त, 2026 — सदस्यता संख्याः एफसीएस 13366

CORDS® कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 94, प्रथम तल, शंभू दयाल बाग मार्ग,
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–III के पास, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली–110020
दूरभाष : 011–40551200' **फैक्स :** 011–20887232'
ई-मेल : ccil@cordscable.com **वेबसाइट :** www.cordscable.com'
सीआईएन : L74999DL1991PLC046092

अंशधारकों को कंपनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कॉर्प्स''/''कंपनी'') की 35वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को प्रातः 10:00 बजे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन), हरे कृष्णा हिल्स, संत नगर मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 में सूचना में निर्धारित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां 35वीं एजीएम की सूचना के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। उन अंशधारकों को एक पत्र भेजा जाएगा, जिनके ई–मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें सटीक वेब–लिंक, सटीक पाथ सहित प्रदान किया जाएगा, जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है। हालांकि, 35वीं एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जो अपना फोलियो नंबर/डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए csco@cordscable.com पर इसका अनुरोध करेंगे।

सदस्यगण ध्यान दे सकते हैं कि एजीएम की सूचना सहित वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.cordscable.com पर तथा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसे स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाएगा।

मतदान संबंधी जानकारी :

अंशधारकों को एजीएम सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपने मत डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई–वोटिंग'') प्रदान की गई है। साथ ही, एजीएम में बैलेट/पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मत नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

अंशधारकों के पास एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करके अपना मत डालने या एजीएम के दौरान बैलेट/पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध है। डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले अंशधारकों तथा जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। यदि अंशधारकों/ सदस्यों को लॉगिन/ ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न है, तो वे enotices@in.mpms.mufg.com पर ई–मेल भेज सकते हैं या दूरभाष : 022–4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

ईमेल पता, केवाईसी पंजीकृत/अद्यतन करने तथा बैंक खाते के अद्यतनीकरण की विधि :

जो अंशधारक लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता पंजीकृत करना चाहते हैं तथा/अथवा बैंक खाता मैनडेट अद्यतन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें :

क. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए : अपने डिमैट खाते में विवरणों को डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अद्यतन करें; तथा

ख. भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए : आरटीए को जारी 06 फरवरी, 2026 तिथि वाले सेबी मास्टर परिपत्र के अंतर्गत, जिसे अन्य संबंधित सेबी परिपत्रों तथा सेबी लिस्टिंग नियमों के नियम 12 के साथ पढ़ा किया जाए, सेबी ने अनिवार्य किया है कि भौतिक मोड में शेयर रखने वाले अंशधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा। भौतिक शेयर रखने वाले पात्र अंशधारकों को ऐसा भुगतान उनके द्वारा कंपनी के आरटीए के पास अपने संबंधित भौतिक फोलियो के लिए अपना पैन, संपर्क विवरण (पिन तथा मोबाइल नंबर सहित डाक पता), बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर आदि प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा। पैन, केवाईसी, बैंक विवरण तथा नामांकन के अद्यतनीकरण हेतु फार्म अर्थात् फॉर्म आईएसआर–1, आईएसआर–2, आईएसआर–3 तथा एसएच–13 हमारी वेबसाइट https://cordscable.com/communication-to-shareholders/ पर तथा आरटीए की वेबसाइट https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे विधिवत भरे हुए तथा हस्ताक्षरित आवश्यक फॉर्म सहायक दस्तावेजों के साथ यथाशीघ्र जमा करें। कंपनी ने भौतिक रूप में शेयर रखने वाले अंशधारकों को भी पत्र भेजे हैं ताकि वे उन केवाईसी विवरणों को प्रस्तुत कर सकें जो उनके संबंधित फोलियो में पंजीकृत नहीं हैं।

लाभांश का भुगतान :

अंशधारक ध्यान दे सकते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, आगामी एजीएम में अंशधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु. 10/– प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 1.2/– के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। यदि अंशधारकों द्वारा अंतिम लाभांश का अनुमोदन कर दिया जाता है, तो इसका भुगतान रिकॉर्ड तिथि, अर्थात् सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर, जैसा भी मामला हो, में दर्ज अंशधारकों को विभिन्न ऑनलाइन अंतरण माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। लाभांश प्राप्त करने में विलंब से बचने के लिए, अंशधारकों से अनुरोध है कि वे देय तिथि पर सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डिमटेरियलाइज्ड रूप में हैं) के पास तथा कंपनी के आरटीए (जहां शेयर भौतिक मोड में हैं) के पास अपने केवाईसी तथा बैंक खाते के विवरण अद्यतन करें।

जैसा कि सदस्य अवगत हैं, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (''आईटी अधिनियम'') के अंतर्गत, 01 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किया गया लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य होगा तथा कंपनी को लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना आवश्यक होगा। टीडीएस की दरें सदस्यों की आवासीय स्थिति तथा उनके द्वारा समय के भीतर जमा किए गए एवं कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होंगी।

इस संबंध में, कंपनी ने अपने 27 जून, 2026 तिथि वाले ई–मेल संचार के माध्यम से उन सभी सदस्यों को, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं, आवश्यक अनुलग्नकों के साथ निर्धारित दरों पर अंशधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से कर कटौती की प्रक्रिया के बारे में समझाया है। यह संचार कंपनी की इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है : https://cordscable.com/wp-content/uploads/2026/06/Communication-to-Shareholders25-26.pdf

35वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अंशधारकों को लागू कानून के अनुसार उनके पंजीकृत ईमेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी।

भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण तथा डिमटेरियलाइजेशन के लिए विशेष खिड़की

दिनांक 30 जनवरी, 2026 तिथि वाले सेबी के परिपत्र संख्या **HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026** के अंतर्गत, अंशधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचे या खरीदे गए भौतिक शेयरों के अंतरण तथा डिमटेरियलाइजेशन (''डिमैट'') के लिए एक विशेष खिड़की खोली है। विशेष खिड़की 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की एक अवधि के लिए खुली रहेगी।

यह सुविधा उन अंतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे लेकिन दस्तावेजीकरण में कमी (कमियों), प्रक्रियात्मक मुद्दों या किसी अन्य कारण से अस्वीकृत, वापस या संसाधित नहीं किए गए थे।

अंशधारक आगे ध्यान दे सकते हैं कि इस विशेष खिड़की के तहत अंतरित शेयर अनिवार्य रूप से केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में ही अंतरिती को जमा किए जाएंगे तथा अंतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की लॉक–इन अवधि के अधीन होंगे। उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान, ऐसी प्रतिभूतियों को अंतरित, लियन–मार्क या गिरवी नहीं रखा जाएगा।

पात्र अंशधारक अपने अंतरण अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ 4 फरवरी, 2027 को या उससे पहले निम्नलिखित पते पर इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार (आरटीए) के पास जमा कर सकते हैं :

मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
नोबल हाइट्स, प्रथम तल, एनएच – 2, सी – 1 ब्लॉक एलएससी,
सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058
ई–मेल : shamwant.kushwah@in.mpms.mufg.com
(swapann@in.mpms.mufg.com)
सीसी में रखें : csco@cordscable.com
https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html

कृपया अपने सभी पत्राचार में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें : 1. कंपनी का नाम, 2. फोलियो नंबर या डीपी तथा क्लाइंट आईडी, 3. अंशधारक का नाम, 4. संपर्क नंबर, 5. ईमेल आईडी।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के अंशधारकों की जानकारी तथा लाभ के लिए जारी की जा रही है तथा यह लागू एमसीए एवं सेबी परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में है।

कृते कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
स्थान : नई दिल्ली — गरिमा पंत
तिथि : 24 अगस्त, 2026 — कंपनी सचिव

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र- । के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

एसडीएच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय ई-10, तीसरी मंजिल, मस्जिद मोथ जीके एन्क्लेव- ।, नई दिल्ली, दिल्ली-110048, भारत के मामले में

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए **केन्द्र सरकार** को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **08 अगस्त 2026** को आयोजित बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तराखंड राज्य''** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, ''क्षेत्रीय निदेशक'', उत्तरी क्षेत्र- ।, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय **को** इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेजः

ई-10, तीसरी मंजिल, मस्जिद मोथ जीके एन्क्लेव- ।, नई दिल्ली, दिल्ली-110048

कृते और उसकी ओर से
एसडीएच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
मानिक कपूर
निदेशक
दिनांकः 08.08.2026
स्थानः दिल्ली
डीआईएनः 11491422

मैक ट्रैवल सॉल्यूशंस लिमिटेड

(पहले मैक कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
सीआईएन : L74110DL2004PLC126130
पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय नंबर–4, दूसरी मंज़िल, मास्टर स्पेस, प्लॉट नंबर–27, केएच /मुस्ततिल नंबर–154, किला नंबर–19/2, उगरसैन पार्क, दिचाओं रोड, नजफगढ़ स्ट्रीट नंबर–2, नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली – 110043, फोनः +91–1204747000
ईमेलः info@machtravel.com,
वेबसाइटः www.machtravelsolutions.com

22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मच ट्रैवल सॉल्यूशंस लिमिटेड (“कंपनी”) के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 15 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (“वीसी”) या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (“वीएवीएम ”) के ज़रिए आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत जारी नियमों, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (“सेबी”) (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के सभी लागू प्रावधानों साथ ही, इसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय (“एमसीए”) द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 (दिनांक 08 अप्रैल, 2020), सर्कुलर नंबर 17/2020 (दिनांक 13 अप्रैल, 2020), सर्कुलर नंबर 20/2020 (दिनांक 05 मई, 2020), सर्कुलर नंबर 02/2021 (दिनांक 13 जनवरी, 2021), सर्कुलर नंबर 10/2022 (दिनांक 28 दिसंबर, 2022), सर्कुलर नंबर 09/2023 (दिनांक 25 सितंबर, 2023), सर्कुलर नंबर 09/2024 (दिनांक 19 सितंबर, 2024) और सर्कुलर नंबर 03/2025 (दिनांक 22 सितंबर, 2025) के अनुसार वीसी के ज़रिए एजीएम आयोजित करने की समय–सीमा बढ़ाने से संबंधित हैं। एमसीए और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी सर्कुलर के अनुसार, कंपनियों को अपनी एजीएम (वार्षिक आम बैठक) वीसी /ओएवीएम के ज़रिए आयोजित करने की अनुमति है, जिसमें सदस्यों को किसी एक जगह पर शारीरिक रूप से मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, एजीएम के नोटिस में बताए गए कामकाज को पूरा करने के लिए कंपनी की एजीएम वीसी /ओएवीएम के ज़रिए आयोजित की जाएगी।

सर्कुलर का पालन करते हुए, एजीएम के नोटिस और वित्त वर्ष 2025–26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/इसके आरटीए /डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास रजिस्टर्ड हैं। एजीएम का नोटिस और वित्त वर्ष 2025–26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.machtravelsolutions.com), उस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं (www.bseindia.com), और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (“छैक्स”) की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनीज़ एक्ट 2013 की धारा 108 और एक्ट के अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों), साथ ही कंपनीज़ (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014 के नियम 20 और लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 44 के तहत, सदस्यों को एजीएम के नोटिस में दिए गए प्रस्तावों पर वोट देने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एजीएम नोटिस और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट ईमेल के ज़रिए भेजने का काम शनिवार, 22 अगस्त, 2026 को पूरा हो गया है।
2. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि शनिवार, 12 सितंबर, 2026 (सुबह 09:00 बजे भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और सोमवार, 14 सितंबर, 2026 (शाम 05:00 बजे भारतीय समयानुसार) को समाप्त होगी।
3. कट–ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 04 सितंबर, 2026 तक डीमटेरियलाइज़्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दिन ई–वोटिंग सिस्टम के ज़रिए वोट देने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
4. कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बनता है, और कट–ऑफ तारीख यानी 04 सितंबर, 2026 तक शेयर रखता है, वह अपनी क्लाइंटआईडी, डीपी आईडी/ फोलियो नंबर बताते हुए evoting@nsdl.com या admin@skylinerta.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध भेज सकता है।
5. एजीएम के दौरान भी ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में मौजूद जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के ज़रिए अपना वोट नहीं डाल पाए हैं, वे एजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम के ज़रिए वोट देने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने पहले ही रिमोट ई–वोटिंग के ज़रिए अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट नहीं डाल सकेंगे।
6. रिमोट से संबंधित जानकारी के लिए ई–वोटिंग के लिए, कृपया एजीएम नोटिस के साथ भेजी गई ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया और तरीके को देखें।

कृते एवं मैक ट्रैवल सॉल्यूशंस लिमिटेड की ओर से
हस्ता./–
दिनांक : 25–08–2026 — यशस्वी श्रीवास्तव
स्थानः नई दिल्ली — कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

RateGain®
रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

CIN: L72900DL2012PLC244966
पंजीकृत कार्यालयः एम-140, ग्रेटर कैलाश पार्ट-।।, नई दिल्ली-110048
कॉर्प. कार्यालयः क्लब 125, प्लॉट नं. 3, 4, 5, टावर ए, चौथी मंजिल, सेक्टर-125, नोएडा-201301, उ.प्र.
टेलीफोनः +91 120 5057 000
ई-मेलः companysecretary@rategain.com,
वेबसाइटः www.rategain.comtary@rategain.com; वेबसाइटः www.rategain.com

14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग संबंधी जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की चौदहवीं (14वी) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरूवार, 24 सितंबर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013, ('अधिनियम') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, समय–समय पर यथासंशोधित, के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के साथ पठित, एमसीए द्वारा जारी समय–समय पर प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी लागू परिपत्रों (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र को सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहा गया है) के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2025–26, कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपीएस)/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), जैसा भी मामला हो, के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://investors.rategain.com/ के निवेशक अनुभाग , स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, समय–समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक – 2 (एसएस–2) के साथ पठित, कंपनी के सदस्यों को NSDL की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने मत डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्य बैठक के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपने मत डाल सकते हैं ('रिमोट ई–वोटिंग') या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान कर सकते हैं ('ई–वोटिंग')। सदस्यों के मतदान अधिकार शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 ('कट–ऑफ तिथि') को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

रिमोट ई–वोटिंगर्ध्ई–वोटिंग का विवरण निम्नानुसार हैः

1) रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 20 सितंबर, 2026 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से शुरू होती है और बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होती है।
2) कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है, तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को शेयर रखता है, evoting@nsdl.co.in या einward.ris@kfintech.com या companysecretary@rategain.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'यूजर की जानक. ारी / पासवर्ड भूल गए' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। कोई सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन–टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकता है।
3) भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ई–मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर या जारीकर्ता/आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, एनएसडीएल के साथ ई–वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत सदस्य, वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''यूजर की जानकारी/पासवर्ड भूल गए'' या ''फिजिकल यूजर का पासवर्ड रीसेट करें'' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।
4) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखते हैं, वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।
5) सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है किः
a) 23 सितंबर, 2026 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद एनएसडीएल रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर देगा। एक बार जब कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
b) जो सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
c) कोई सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
d) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तारीख, यानी शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए बेनिफिशियल ओनर्स (लाभार्थी मालिकों) के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
e) रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से AGM में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है।
f) जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते पंजीकृत करने का तरीका एजीएम के नोटिस में दिया गया है।
6) निदेशक मंडल ने श्री देवेश कुमार वशिष्ठ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफ8488 एवं सी.पी . संख्या 13700) को रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई–वोटिंग यूजर–मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नं.: 022– 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/– मुकेश कुमार
जनरल काउंसल,
दिनांकः 24 अगस्त, 2026
स्थानः नोएडा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Air travel inflation soars to 32% on West Asia conflict

SHUBHAM RANA
New Delhi, August 24

THE SECOND-EVER SERVICE Producer Price Indices (PPIs) released on Monday showed that air travel costs surged in the April-June quarter, reflecting the impact of the flight disruptions and surge in energy prices on the back of the war in West Asia.

Air (Passenger) Service Price Index inflation was 31.94% in April-June, the highest among the seven service sectors for which data was released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).

Inflation data for air travel is only available for April-June quarter. Inflation for prior quarters could not be computed as the index is compiled with 2025-26 as the price reference period, the DPIIT said.

Sequentially, air travel costs surged 18.2% from the January-March quarter, also the sharpest quarter-on-quarter rise among the seven sectors.

Financial services also saw a rise in price pressures in the first quarter of FY27.

Banking service contribution inflation rose to a six-quarter high of 6.90% in April-June from 3.30% in the previous quarter and 3.02% in the same quarter a year ago.

Banking service prices fell 3.35% year-on-year in the June quarter, staying in deflation for the sixth consecutive quarter.

"The banking service price index, which covers fees and commissions, remains in deflation. It is the contribution index which has risen sharply. The contribution index reflects price changes or activity in intermediation services for loans and deposits and the increase in the Q1 index maybe influenced by the rise in loan and deposit growth in Q1," said Sakshi Gupta, principal economist at HDFC Bank.

Management of pension funds service inflation rose to 5.20% in the June quarter from -0.76% in January-March and 3.36% a year ago.

Insurance service prices rose 0.98% on year in the June quarter, while securities transaction service prices fell 1.32% on year in April-June.

SERVICES SPIKE

April-June PPI inflation (y-o-y, %)

Securities Transaction Service Price Index	1.32▼
Banking Service Price Index	3.35▼
Banking Service Contribution Index	6.90▲
Management of Pension Funds Service Price Index	5.20▲
Insurance Service Price Index	0.98▲
Telecom Service Price Index	0.72▲
Railway Service Price Index	1.27▲
Railway Freight Service Price Index	0.10▲
Railway Passenger Service Price Index	3.50▲
Air (Passenger) Service Price Index	31.94▲

■ Financial services also saw a rise in price pressures in the first quarter of FY27

■ Banking service contribution inflation rose to a 6-quarter high of 6.90% in Apr-June

NSA Doval in Beijing for border talks

KJM VARMA
Beijing, August 24

NATIONAL SECURITY ADVISOR Ajit Doval arrived in Beijing on Monday for a two-day visit to take part in the Special Representatives talks on the India-China boundary question with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi.

The talks — scheduled for Tuesday — assume significance as they are being held ahead of Chinese President Xi Jinping's much-anticipated visit to New Delhi to attend the BRICS summit on September 12-13.

They also come at a time when differences over the border and Arunachal Pradesh continue to figure prominently in India-China bilateral ties.

The ties between New Delhi and Beijing came under severe strain after the 2020 Galwan Valley clash and the prolonged military stand-off in eastern Ladakh. But both sides have since taken steps to stabilise relations. **PTI**

Jaishankar meets Putin; discusses trade & energy

EXTERNAL AFFAIRS MINISTER S Jaishankar on Monday called on Russian President Vladimir Putin, as the two sides discussed economic ties, focussing on key areas such as trade, energy, fertilisers and nuclear cooperation.

Jaishankar landed in Moscow on Sunday for a two-day visit, ahead of Putin's expected visit to New Delhi for the BRICS leaders' summit next month.

The meeting assumes significance as India and Russia seek to deepen their economic engagement and expand cooperation in a range of areas.

Jaishankar said the two sides had held a meeting of the inter-governmental commission earlier in the day and had a "good report" on their economic cooperation.

"I think our economic cooperation, trade, energy, fertilisers, nuclear, other dimensions as well - I would be pleased to speak about it in detail. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly," the foreign minister said.

Putin said Russia was increasing fertiliser supplies to India and was ready to continue doing so, according to the state-run TASS news agency. **PTI**

External Affairs Minister S Jaishankar (right) exchanges a handshake with Russian President Vladimir Putin, in Moscow on Monday PTI

RAIN POURS, DELHI-NCR STALLS

School buses wade through a waterlogged road following heavy rainfall at Subhash Chowk in Gurugram on Monday. Heavy rain lashed several parts of Delhi-NCR, causing widespread waterlogging, traffic snarls and flight disruptions, with 15 Delhi-bound flights diverted PTI

India, Cambodia complete BIT talks

INDIA AND CAMBODIA have completed negotiations for a bilateral investment treaty (BIT) and have agreed to sign it at the earliest, an official statement said on Monday.

They also discussed ways to increase cooperation in sectors such as agriculture, dyes and pigments, banking and insurance sectors with a view to boosting economic ties.

The issues were discussed during the India-Cambodia Joint Working Group on Trade and Investment (JWGTI) meeting in Phnom Penh, Cambodia.

"The two sides also welcomed the discussion for completion of the Bilateral Investment Treaty between India and Cambodia and agreed for early signature on it," the commerce ministry said in a statement.

The treaty protects and promotes bilateral investments.

The two sides further discussed cooperation in agriculture and market access issues, expanding trade in dyes and pigments, banking and insurance sector cooperation.

The meeting was co-chaired by Amit Verma, joint secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry and Long Kemvichet, director general of international trade, ministry of commerce, Cambodia.

The meeting, it said, deliberated upon ways to diversify and deepen trade, including through cooperation and collaboration in traditional medicine, e-governance modules, recognition of Indian pharmacopeia, trade statistics reconciliation and the sharing of information on flagship trade fairs and business delegations. **PTI**

Late deposit of TDS serious offence: Court

SHUBHAM RANA
New Delhi, August 24

A LOWER COURT has ruled that failure to deposit tax deducted at source (TDS) is a serious fiscal offence, reinforcing the revenue department's prosecution policy.

The judgment also clarifies that liquidation of a company will not negate its criminal liability for TDS defaults nor does it absolve the director responsible for the affairs of the company, finance ministry sources said.

The Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Special Acts, Central District in Delhi on August 19 passed an order against Naftogaz India that delayed deposit of TDS is a serious offence warranting effective penal consequences.

The order against Naftogaz and its director relates to a TDS default case for financial year 2009-10.

The Court levied a ₹10 lakh fine against the company, to be paid by the official liquidator from the assets or funds of the company.

EXPRESS Careers